

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062020-220035

CG-DL-E-19062020-220035

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1711]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942

No.1711]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISTHA 28, 1942

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 10 जून, 2020

का. आ.1927.— जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ओड़ीशा राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइप लाइन (जे एच बि डि पि एल) और स्पर पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, ओड़ीशा राज्य, गेल (इंडिया) लिमिटेड, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जगदिशपुर - हलदिआ - बोकारो - धामरा पाइपलाइन और स्पर पाइपलाइन प्रोजेक्ट रांची -अनुगुल पाइपलाइन (सेकसन 3A)						
राज्य - ओडिशा						
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नंबर.	क्षेत्रफल		
				हेक्टर	आर	वर्गमिटर
1	2	3	4	5		
अंगुल	छेन्डिपदा	मकुन्दपुर	2482/ 2894	00	06	07
			2387	00	00	81
			2388	00	04	86
			2469	00	08	09
			2467	00	02	02
			2454	00	00	81
			2453	00	02	83
			2455	00	00	40
			2502	00	00	40
			2452	00	21	45
			2450	00	02	43
			2451	00	07	69
			2446	00	00	40
			2503	00	02	43
			2441	00	04	45
			2504	00	00	81
			2515	00	00	40
			2517	00	02	43
			2516	00	04	45
			2519	00	02	83
			2520	00	01	21
			2521	00	23	07
			2524	00	01	21
			2522	00	00	81
			2523	00	01	62
			2526	00	04	45
			2527	00	04	86
			2529	00	00	81
			2530	00	04	86
			2532	00	00	81

	2531	00	00	81
	2533	00	04	05
	2555	00	00	81
	2554	00	00	81
	2535	00	00	81
	2534	00	04	05
	2553	00	04	86
	2549	00	00	40
	2548	00	00	81
	2550	00	10	12
	2547	00	03	24
	2635	00	14	16
	2636	00	07	28
	2638	00	13	76
	2637	00	31	97
	2631	00	16	60
	2630	00	15	38
	2596	00	02	43
	2629	00	03	64
	2606	00	08	90
	2622	00	15	78
	2621	00	04	86
	2608	00	04	86
	2609	00	10	52
	2610	00	08	09
	2852	00	02	43
	2859	00	04	45
	2860	00	00	40
	2858	00	12	95

[फा.सं -एल -14014 /24 /2020 -जीपी -II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th June 2020

S.O. 1927(E). —Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) and Spur Pipeline, in the State of Odisha, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, State of Odisha, GAIL (India) Limited.

SCHEDULE

JAGDISHPUR - HALADIA - BOKARO - DHAMRA PIPELINE & SPUR PIPELINE PROJECT						
RANCHI- ANGUL PIPELINE (SECTION-3A)						
LAND SCHEDULE						
STATE : ODISHA						
DISTRICT	TEHSIL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA		
				HECT.	ARE	SQ. MTR.
1	2	3	4	5		
ANGUL	CHHENDIPADA	MUKUNDPUR	2482/ 2894	00	06	07
			2387	00	00	81
			2388	00	04	86
			2469	00	08	09
			2467	00	02	02
			2454	00	00	81
			2453	00	02	83
			2455	00	00	40
			2502	00	00	40
			2452	00	21	45
			2450	00	02	43
			2451	00	07	69
			2446	00	00	40

	2503	00	02	43
	2441	00	04	45
	2504	00	00	81
	2515	00	00	40
	2517	00	02	43
	2516	00	04	45
	2519	00	02	83
	2520	00	01	21
	2521	00	23	07
	2524	00	01	21
	2522	00	00	81
	2523	00	01	62
	2526	00	04	45
	2527	00	04	86
	2529	00	00	81
	2530	00	04	86
	2532	00	00	81
	2531	00	00	81
	2533	00	04	05
	2555	00	00	81
	2554	00	00	81
	2535	00	00	81
	2534	00	04	05
	2553	00	04	86
	2549	00	00	40
	2548	00	00	81
	2550	00	10	12
	2547	00	03	24
	2635	00	14	16
	2636	00	07	28
	2638	00	13	76

	2637	00	31	97
	2631	00	16	60
	2630	00	15	38
	2596	00	02	43
	2629	00	03	64
	2606	00	08	90
	2622	00	15	78
	2621	00	04	86
	2608	00	04	86
	2609	00	10	52
	2610	00	08	09
	2852	00	02	43
	2859	00	04	45
	2860	00	00	40
	2858	00	12	95

(F. No. L-14014/24/2020-GP-II)
RAJ KISHORE, Under Secy.